

**न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौडगढ**

पीठासीन अधिकारी : बीनू देवल (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 236 / 2022 (2022 / 742)

अनवान

1. हेमसिंह पिता कल्याण सिंह राजपुत नि.ओरडी मृतक के बजाय :-
  - 1/1. कैलाश कंवर पत्नी स्व.हेमसिंह राजपुत नि.ओरडी तह.व जिला चित्तौडगढ
  - 1/2. प्रवीण सिंह पुत्र स्व.हेमसिंह राजपुत नि.ओरडी तह.व जिला चित्तौडगढ
  - 1/3. रागिनी कुंवर उर्फ रानू कंवर पुत्री स्व.हेमसिंह राजपुत नि.ओरडी तह.व जिला चित्तौडगढ
  - 1/4. सीमा राठौड पुत्री स्व.हेमसिंह राजपुत नि.ओरडी तह.व जिला चित्तौडगढ

—वादीगण

बनाम

1. इन्द्र सिंह पिता कल्याण सिंह राजपुत नि.ओरडी तह.व जिला चित्तौडगढ हाल निवासी 447 -बी , देवी नगर , न्यू सांगानेर रोड , सोडाला जयपुर
2. उंकार सिंह पिता कल्याण सिंह राजपुत नि.ओरडी तह. व जिला चित्तौडगढ
3. श्री भूमिधारी तहसीलदार सा. चित्तौडगढ तह.व जिला चित्तौडगढ

—प्रतिवादीगण

कार्यवाही : 53 आर.टी.ए.

उपस्थिति : श्री ललित लढा अधिवक्ता वादीगण

निर्णय

दिनांक 16.04.2026

संक्षिप्त विवरण प्रकरण इस प्रकार है कि वादीगण ने विरुद्ध प्रतिवादीगण वाद पत्र अर्न्तगत धारा 53 आर.टी.ए. को इस आशय का प्रस्तुत किया कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के संयुक्त खातेदारी की आराजीयात ग्राम ओरडी तहसील चित्तौडगढ की आराजी संख्या 49 रकबा 0.65 हे. स्थित है। विवादग्रस्त आराजीयात मे वादी एवं प्रतिवादीगण प्रत्येक का 1/3 हक हिस्सा निहित है। वादग्रस्त आराजीयात का आपसी बटंवाडा नही होने से मौके पर विवाद की स्थिति बनी रहती है। इस हेतू वादी ने पांति बटंवाडा के यह वाद पत्र पेश किया है। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर बाद सुनवाई दिनांक 14.03.2015 को प्राथमिक डिक्री किया गया। प्राथमिक डिक्री की पालना



बीनू देवल  
सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
चित्तौड़गढ़ (राज.)



तहसीलदार चित्तौडगढ से विभाजन प्रस्ताव तलब किए गए। तहसील चित्तौडगढ से पत्रांक/514 दिनांक 21.04.2015 से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होकर रेकार्ड पर है। बाद सुनवाई दिनांक 28.05.2015 को अन्तिम डिक्री पारित की गई। उक्त अन्तिम डिक्री की अपील माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय के यहा की गई। माननीय अपीलीय न्यायालय के प्रकरण संख्या डिक्री 261/2015 मे पारित निर्णय दिनांक 26.07.2022 से न्यायालय हाजा से पारित निर्णय दिनांक 28.05.2015 को निरस्त किया जाकर उभयपक्षकारान को सुनवाई का अवसर प्रदान कर पुन विभाजन प्रस्ताव तलब किया जाकर अजसरे नवनिर्णय पारित किया जाने के निर्देश प्रदान हुए एवं उभय पक्षकारान को न्यायालय हाजा मे दिनांक 23.08.2022 को उपस्थित रहने हेतू निर्देश दिए गए। माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देशो की पालना मे प्रकरण पुन दर्ज रजिस्टर किया जाकर उभय पक्षकारान को सूचना पत्र जारी किए गए। दौराने सुनवाई प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा न्यायालय हाजा द्वारा पारित प्राथमिक डिक्री दिनांक 14.03.2015 की अपील राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय चित्तौडगढ के यहा की गई। उक्त अपील अपीलीय न्यायालय मे बाद सुनवाई अपील न्यायालय के प्रकरण संख्या 159/2022 निर्णय दिनांक 03.09.2024 से अपील खारीज की जाकर न्यायालय हाजा द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय दिनांक 14.03.2015 को यथावत् रखा गया।

पत्रावली पुन : न्यायालय हाजा को प्राप्त होकर पूर्व मे अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौडगढ के प्रकरण संख्या 261/2015 निर्णय दिनांक 26.07.2022 मे पारित निर्देशानुसार पुन: विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार चित्तौडगढ से तलब किए गए एवं इसके साथ ही प्रतिवादीगण को सुनवाई हेतू सूचना पत्र जारी किए गए जो बाद तामील सलग्न पत्रावली है। प्रतिवादीगण बावजूद सूचना उपस्थित नही हुए। वादी की ओर से अधिवक्ता श्री ललित लढा ने उपस्थिति देकर वादी हेमसिंह के फोट हो जाने से उनके वारिसान के कायम मुकाम हेतू प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 03 जा.दी. पेश किया जो बाद सुनवाई स्वीकार किया जाकर वादी के वारिसान को प्रकरण मे वादी की जगह पक्षकार संयोजित किए जाने के आदेश हुए। प्राथमिक डिक्री की पालना मे तहसीलदार चित्तौडगढ से पत्रांक/राज/2026/544 दिनांक 13.04.2026 से विभाजन प्रस्ताव के सम्बन्ध मे रिपोर्ट प्राप्त होकर रेकार्ड पर है। प्राप्त रिपोर्ट अनुसार ग्राम ओरडी के आराजी नं 49 रकबा 0.65 हे. पूर्व मे हेमसिंह इन्द्रसिंह उंकारसिंह पिता कल्याणसिंह के नाम दर्ज रेकार्ड था। डिक्री प्र.सं. 123/14 के आधार पर की पालना मे पूर्व में



(सिन् हेतु)  
सहायक कमिश्नर एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
चित्तौडगढ (सम्ब.)



विभाजन प्रस्ताव भिजवाया गया । जिससे वर्तमान राजस्व रेकार्ड में अलग – अलग खाते होकर दर्ज रेकार्ड है। उसी अनुसार मौके पर खातेदारों का कब्जा है। राजस्व रेकार्ड एवं मौके में कोई भिन्नता नहीं है। अधिवक्ता वादीगण उपस्थित । प्रतिवादीगण बावजूद सूचना उपस्थित नहीं। बहस विभाजन प्रस्ताव पर प्राप्त रिपोर्ट के सम्बन्ध पर सुनी गई। अधिवक्ता वादीगण ने पूर्व में प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के उपरान्त पारित अन्तिम डिक्री अनुसार उभयपक्षकारान रेकार्ड अनुसार मौके पर काबिज है। राजस्व रेकार्ड और मौके पर कोई परिवर्तन नहीं है।

हमने पत्रावली का अवलोकन व अध्ययन कर अधिवक्ता वादीगण के कथनों पर मनन किया। तहसील से प्राप्त रिपोर्ट में वर्णित तथ्यों अनुसार पूर्व में हस्तगत प्रकरण में प्रकरण संख्या 123/2014 में पारित अन्तिम निर्णय दिनांक 28.05.2015 के आधार पर की पालना में पूर्व विभाजन प्रस्ताव अनुसार मौके पर उभयपक्षकारान काबिज है। राजस्व रेकार्ड और मौके पर कोई भिन्नता नहीं है। वादीगण का वाद पत्र ग्राम ओरडी पटवार हल्का जालमपुरा तहसील चित्तौडगढ के आराजी 49 रकबा 0.65 हे. का पूर्व में प्रकरण संख्या 123/2014 में पारित निर्णय दिनांक 28.05.2015 अनुसार एवं तहसील से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार आराजी नं 428/49 रकबा 0.12 हे. उंकारसिंह पिता कल्याणसिंह , आराजी नं 426/49 रकबा 0.12 हे. इन्द्रसिंह पिता कल्याणसिंह , आराजी नं 430/49 रकबा 0.0560 शामलात रास्ता इन्द्रसिंह 1/3 उंकार सिंह 1/3 प्रवीणसिंह रागिनी कुंवर सीमा राठौड पिता हेमसिंह कैलाशकुंवर पत्नी हेमसिंह 1/3 , आराजी नं 49 रकबा 0.1980 कैलाशकुंवर पत्नी हेमसिंह प्रवीणसिंह रागिनी कुंवर सीमा राठौड पिता हेमसिंह के नाम , आराजी नं 429/49 रकबा 0.0780 उंकारसिंह पिता कल्याणसिंह तथा आराजी नं 427/49 रकबा 0.0780 इन्द्रसिंह पिता कल्याणसिंह के नाम विभाजन होकर राजस्व रेकार्ड में अलग अलग खाता उपरोक्तानुसार दर्ज है तथा उसी अनुसार मौके पर खातेदारों का कब्जा है। राजस्व रेकार्ड एवं मौके में कोई भिन्नता नहीं है।

निर्णय टंकित करवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।



  
सहायक कलेक्टर एवं  
उपजज अधिकाारी  
चित्तौड़गढ़ (राज.)

## मूल वाद मे डिक्री

(आदेश 20 नियम 6,7 जा.दी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर चित्तौडगढ बईजलास  
श्री बीनू देवल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर चित्तौडगढ

1. हेमसिंह पिता कल्याण सिंह राजपुत नि.ओरडी मृतक के बजाय :-
  - 1/1. कैलाश कंवर पत्नी स्व.हेमसिंह राजपुत नि.ओरडी तह.व जिला चित्तौडगढ
  - 1/2. प्रवीण सिंह पुत्र स्व.हेमसिंह राजपुत नि.ओरडी तह.व जिला चित्तौडगढ
  - 1/3. रागिनी कुंवर उर्फ रानू कंवर पुत्री स्व.हेमसिंह राजपुत नि.ओरडी तह.व जिला चित्तौडगढ
  - 1/4. सीमा राठौड पुत्री स्व.हेमसिंह राजपुत नि.ओरडी तह.व जिला चित्तौडगढ

—वादीगण

बनाम

1. इन्द्र सिंह पिता कल्याण सिंह राजपुत नि.ओरडी तह.व जिला चित्तौडगढ हाल निवासी 447 -बी , देवी नगर , न्यू सांगानेर रोड , सोडाला जयपुर
2. उंकार सिंह पिता कल्याण सिंह राजपुत नि.ओरडी तह. व जिला चित्तौडगढ
3. श्री भूमिधारी तहसीलदार सा. चित्तौडगढ तह.व जिला चित्तौडगढ

—प्रतिवादीगण

कार्यवाही : 53 आर.टी.ए.

प्रकरण संख्या : 236/2022 (2022/742)

वादीगण की ओर से वकील श्री ललित लढा की उपस्थिति में यह वाद आज दिनांक को अद्योहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष पेश होने पर आदेश दिया जाता है और आदेश डिक्री दी जाती है वादीगण का वाद पत्र ग्राम ओरडी पटवार हल्का जालमपुरा तहसील चित्तौडगढ के आराजी 49 रकबा 0.65 हे. का पूर्व मे प्रकरण संख्या 123/2014 मे पारित निर्णय दिनांक 28.05.2015 अनुसार एवं तहसील से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार आराजी नं 428/49 रकबा 0.12 हे. उंकारसिंह पिता कल्याणसिंह , आराजी नं 426/49 रकबा 0.12 हे. इन्द्रसिंह पिता कल्याणसिंह , आराजी नं 430/49 रकबा



(बीनू देवल)  
सहायक कलेक्टर एवं  
उपखण्ड अधीक्षक  
चित्तौड़गढ़ (राज.)



60 शामिल रास्ता इन्द्रसिंह 1/3 उंकार सिंह 1/3 प्रवीणसिंह रागिनी कुंवर  
सीमा राठौड पिता हेमसिंह कैलाशकुंवर पत्नी हेमसिंह 1/3 , आराजी नं 49 रकबा 0.  
1980 कैलाशकुंवर पत्नी हेमसिंह प्रवीणसिंह रागिनी कुंवर सीमा राठौड पिता हेमसिंह  
के नाम , आराजी नं 429/49 रकबा 0.0780 उंकारसिंह पिता कल्याणसिंह तथा  
आराजी नं 427/49 रकबा 0.0780 इन्द्रसिंह पिता कल्याणसिंह के नाम विभाजन  
होकर राजस्व रेकार्ड मे अलग अलग खाता उपरोक्तानुसार दर्ज है तथा उसी अनुसार  
मौके पर खातेदारो का कब्जा है। राजस्व रेकार्ड एवं मौके मे कोई भिन्नता नही है।

यह आज दिनांक 16.04.2026 को मेरे हस्ताक्षर से और मुहर अदालत से जारी की  
गई।




श्री. वि. वि.  
सहायक वित्तियोग्य एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
वित्तियोग्य (कम्प.)

नक्शा ईस मौजा - ओरड़ी ,

प.ई - जालमपुरा

न.ई. व. जिला - चित्तौड़गढ़

माना 1 Cm = 40 mm



*Merika*

जोशिका बैंकर  
पटवारी  
पटवार हल्का - जालमपुरा  
तहसील - चित्तौड़गढ़